फर्द आ[illegible]

जगदीश प्रसाद बनाम [illegible]

नाम न्यायालय

केस संख्या 82/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		वादी के निवेदन पर [illegible] बहस सुनी गयी पत्रावली, [illegible] दिनांक 18/11/21 व प्रा. पत्र का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया प्रा. पत्र बाबत [illegible] [illegible] का स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस हेतु 3/8/22 को पेश हो। [signature]
	3/8/22	व. वादी उप. अधिवक्ता प्रतिवादी को बार बार आवाज दिलाई गई अधिवक्ता प्रतिवादी अनुपस्थित है अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर [illegible] रिपोर्ट दिनांक 18/11/21 के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद तामील शुमार होकर [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]

[illegible] अधिकारी [illegible] जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— सीमा खेतान

वाद सं. 82/2021

उनवान

1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामलाल, जाति माली, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र रामसहाय
2. छोटीलाल पुत्र रामलाल
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
5. सिंडिकेट बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा विजयसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः— 03.08.2022

पत्रावली पेश हुई। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 22.10.2021 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 27.10.2021 को कुरेजात प्राप्त हुए है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरेजात का पेश किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रा0पत्र बाबत ऐतराज कुरेजात का पेश किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र बाबत ऐतराज कुरेजात पर बहस सुनी गई। पत्रावली, प्रा0पत्र ऐतराज कुरेजात, जवाब प्रा0पत्र ऐतराज कुरेजात, कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 27.10.2021 का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरेजात का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू से पुनः कुरेजात दिनांक 18.11.2021 प्राप्त हुए है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरेजात का पेश किया गया। प्रा0 पत्र ऐतराज कुरेजात पर अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी के निवेदन पर सिधे बहस सुनी गई। पत्रावली, प्रा0पत्र ऐतराज कुरेजात, कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 18.11.2021 का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरेजात का खारिज किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी को बार बार आवाज दिलायी गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी अनुपस्थित है। अधिवक्ता वादी की एक पक्षिय बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा तहसील[illegible] कुरेजात दिनांक 18.11.2021 के अनुसार वादी वाद अन्तिम डिक्री करवाये जाने के [illegible]न किया। अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात [illegible] के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया [illegible] है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 861 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8[illegible] रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 866/1040 रकबा 0.02 हैक्टेयर, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.46 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम विजयसिंहपुरा पटवार हल्का विजयसिंहपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

गुल्लूराम पुत्र रामसहाय राहिन सिंडीकेट बैंक शाखा फतेहपुरा जाति माली सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 862/1 रकबा 0.1333 हैक्टेयर किस्म चाही 2, खसरा नम्बर 866/1040 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म बंजड, कुल किता 02 का कुल रकबा 0.1533 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

छोटीलाल पुत्र रामलाल राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा चन्दवाजी जाति माली सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 861/2 रकबा 0.1350 हैक्टेयर किस्म चाही 2, खसरा नम्बर 862/3 रकबा 0.0183 हैक्टेयर किस्म चाही 2 कुल किता 02 का कुल रकबा 0.1533 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

3. जगदीश प्रसाद पुत्र रामलाल जाति माली सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 861/1 रकबा 0.1350 हैक्टेयर किस्म चाही 2, खसरा नम्बर 862/2 रकबा 0.0184 हैक्टेयर किस्म चाही 2 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.1534 हैक्टेयर है, जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सीमा खेतान
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:45 IST
Reason: SelfAttested